# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

**प्रकरण सं0 2/2020** **दायर दिनांकः 05.03.2020**

**उनवान**

1. सत्यनारायण आयु 55 वर्ष पुत्र कस्तुरचन्द जाति अग्रवाल महाजन कवाई सालपुरा तहसील अटरू जिला बारां राजस्थान

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

**अप्रार्थी**

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम</u>**

**उपस्थिति :—**

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री आर0 पी0 गोयल।

## निर्णय

दिनांक 21.01.2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है, कि आराजी खसरा नम्बर. 20 रकबा 0.4500 हेक्टर खसरा नम्बर 21 रकबा 1.4000 हेक्टर किता 2 कुल रकबा 1.8500 हेक्टर माल कवाई तहसील अटरू जिला बाराँ राजस्थान में वाके है जो मुताबिक जमाबन्दी उपरोक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे मे चली आ रही है। प्रार्थनापत्र के मद नम्बर—1 मे वर्णित आरजी के काश्त मे मेडबन्दी हकबन्दी इत्यादि को लेकर पडौसी काश्त करने मे आये दिन विवाद बना रहता है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी आराजी की समुचित काश्त नही कर पता तथा हकबन्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होते रहते है प्रार्थी को मानसिक अशान्ति बनी रहती है। इन हालात मे प्रार्थी के लिए अपने खाते की उपर वर्णित आराजी का सीमाज्ञान हकबन्दी मेडबन्दी मुड्डी ग[illegible]हता है। ताकि पडौसी काश्तकारान से हमेशा का विवाद समाप्त हो जावे। प्रार्थी ने इस बा[illegible] अप्रार्थी तहसीलदार साहब अटरु मे भी निवेदन किया था लेकिन उन्होने [illegible] हकबन्दी कराने से मना कर [illegible] केवल साधारण सीमाज्ञान की बात कही इसी कारण दिनांक 8—1—2020 को कार्यवाही पेश करने का कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी माल कवाई तहसील अटरू जिला बाराँ राजस्थान मे वाके है तथा हकबन्दी को लेकर विवाद भी माल कवाई तहसील अटरू जिला बाराँ राजस्थान मे उत्पन्न हुआ लिहाजा प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेंदन है कि श्रीमान अधिनस्थ अधिकारी कर्मचारियो की टीम बनाकर प्रार्थनापत्र के मद नम्बर–1 मे वर्णित आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी हकबन्दी एवं मुड्डियाँ गडवाने की कृपा करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान टीम बनाकर पत्थरगढी करवाने की कृपा करें। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी ग्राम कवाई की खसरा नम्बर. 20 रकबा 0.4500 हेक्टर खसरा नम्वर 21 रकबा 1.4000 हेक्टर किता 2 कुल रकबा 1.8500 हेक्टर खातेदार सत्यनारायण आयु 55 वर्ष पुत्र कस्तुरचन्द जाति अग्रवाल महाजन कवाई के खाते दर्ज है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है, कि विवादित आराजी ग्राम कवाई की खसरा नम्बर. 20 रकबा 0.4500 हेक्टर खसरा नम्वर 21 रकबा 1.4000 हेक्टर किता 2 कुल रकबा 1.8500 हेक्टर भूमि का टीम बनाकर प्रार्थी की उपस्थिति में विद्यमान वर्तमान सर्वे मानचित्र के आधार पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाई जावें। पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट पेश की जावें। पत्थरगढ़ी का खर्चा प्रार्थीगण द्वारा वहन किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.02.02 13:27:18 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां